

**राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच**

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 5351/2023

विजय कुमार सिंघल पुत्र श्री रामस्वरूप सिंघल, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी ई-15, मोहन नगर, हिंडौन सिटी, जिला करौली (राज)। वर्तमान में बी-4/179, चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर (राज) में निवासरत हैं।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. उप सचिव (ए-3), कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री रिनेश गुप्ता श्री सौरभ प्रताप सिंह श्री गौरव शर्मा
उत्तरदाता(ओं) के लिए	:	श्री जितेंद्र सिंह राठौर, अपर जी ए

माननीय श्री. जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्डा

निर्णय

रिपोर्टेबल

निर्णय की तिथि

07/10/2024

इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उसके विरुद्ध जारी अभियोजन स्वीकृति संख्या पी.2(2) (108)का/के-3/शि/2018 दिनांक 23.06.2021 के आदेश को निरस्त करने और अपास्त करने का अनुरोध किया है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 17.12.2018 को, परिवादी कुलदीप सिंह ने एसपी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को एक शिकायत प्रस्तुत की जिसमें उल्लेख किया गया कि वह इंदु अस्पताल परिसर, झुंझुनू में स्थित एम/एस आधार मेडिकोज नाम से एक दुकान का मालिक और संचालक है। अपने ड्रग लाइसेंस को रद्द करने के कारण, परिवादी इसे नवीनीकृत करना चाहता था और इस उद्देश्य के लिए, वह याचिकाकर्ता-विजय कुमार सहायक औषधि नियंत्रक (एडीसी) से मिला, जिन्होंने ऑनलाइन फाइल तैयार करने के लिए 50,000/- रुपये की मांग की। उन्होंने दस्तावेज तैयार किए और 11.12.2018 को याचिकाकर्ता-विजय कुमार को फर्म की फाइल जमा कर दी। याचिकाकर्ता-विजय कुमार अपनी फर्म की फाइल ऑनलाइन करने के लिए

50,000/- रुपये लेना चाहता था, लेकिन परिवादी उसे 50,000/- रुपये देने को तैयार नहीं था। अवैध मांग का सत्यापन दिनांक 17.12.2018 को किया गया और दिनांक 18.12.2018 को ट्रैप लगाया जाना था, लेकिन दिनांक 18.12.2018 को ट्रैप विफल रहा और अगली तिथि अर्थात् 19.12.2018 को ट्रैप लगाया गया। अतः ट्रैप कार्यवाही की गई और दिनांक 20.12.2018 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 19.12.2018 को जाल बिछाया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उस समय शिकायतकर्ता ने जबरन अवैध रिश्वत याचिकाकर्ता की जेब में डाल दी और एसीबी अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के साथ मारपीट की। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच एक भी बातचीत नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याचिकाकर्ता ने कभी अवैध रिश्वत की मांग की थी। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी कहा कि अभियोजन की मंजूरी 23.06.2021 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 तक संशोधित) (संक्षेप में '1988 का अधिनियम') की धारा 7 के बुनियादी मापदंडों यानी लंबित कार्य पर विचार किए बिना गैर-विचारशील और फिल्मी आधार पर दी गई थी। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी कहा कि नियुक्ति प्राधिकारी ने इस स्थिति को स्वीकार किया कि जाल बिछाए जाने के समय याचिकाकर्ता के पास कोई काम लंबित नहीं था। शिकायतकर्ता ने 24.12.2018 को ड्रग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन स्वीकृति प्रदान करते समय, प्राधिकारी को अभियोजन पक्ष से भिन्न स्वतंत्र मानसिकता और तर्क का प्रयोग करना था, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपने आधारों का हवाला देते हुए और अपने बचाव के सभी तर्क प्रस्तुत करते हुए विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन उपयुक्त प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया। यद्यपि उन्होंने यह तथ्य स्वीकार किया था कि ट्रैप के समय, 17.12.2018 से 19.12.2018 तक याचिकाकर्ता के पास कोई कार्य लंबित नहीं था। शिकायतकर्ता ने पहली बार 24.12.2018 को औषधि लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी कहा कि यदि अभियोजन की कहानी को पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाए तो भी 1988 के अधिनियम के तहत कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि अवैध रिश्वत की मांग के समय याचिकाकर्ता के पास कोई काम लंबित नहीं था।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को अच्छी तरह पता था कि उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा क्योंकि ड्रग लाइसेंस जारी करने और ड्रग लाइसेंस रद्द करने के नियमों के अनुसार, व्यक्तियों को सितंबर 2017 से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक था। याचिकाकर्ता ने पिछले ड्रग लाइसेंस को भी ऑनलाइन रद्द कर दिया था, इसलिए शिकायतकर्ता प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह से जानता था।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1) (डी)/13(2) के तहत अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को रिश्वत के पैसे की मांग और स्वीकृति को स्थापित करना था। ट्रेप के दिन आरोपी को दागी धन की सुपुर्दगी और शिकायतकर्ता का काम ट्रेप की तारीख तक आरोपी के पास लंबित होना चाहिए। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के पास कोई काम लंबित नहीं था। रंजीत गुर्जर (शिकायतकर्ता के मित्र) के साथ याचिकाकर्ता की प्रतिद्वंद्विता के कारण शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता की जेब में जबरदस्ती दागी धन डाल दिया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी कहा कि वर्तमान मामले में एसीबी ने इस बारे में कोई प्रारंभिक जांच नहीं की थी कि शिकायतकर्ता का कोई काम याचिकाकर्ता के पास लंबित है या नहीं। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी कहा कि केवल दागी धन की वसूली 1988 के अधिनियम के तहत किसी अपराध के बराबर नहीं है अतः अभियोजन स्वीकृति आदेश निरस्त किया जाए।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **अशोक कुमार अग्रवाल बनाम सीबीआई (2014(14) एससीसी 295)** के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें उनके माननीय न्यायाधीश ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

8. उपरोक्त के मद्देनजर, कानूनी प्रस्तावों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

(क) अभियोजन पक्ष को प्राथमिकी, प्रकटीकरण विवरण, गवाहों के बयान, वसूली ज्ञापन, आरोप पत्र का मसौदा और अन्य सभी प्रासंगिक सामग्री सहित संपूर्ण प्रासंगिक अभिलेख स्वीकृति प्राधिकारी को भेजना होगा। इस प्रकार भेजे गए अभिलेख में वह सामग्री/दस्तावेज भी शामिल होना चाहिए, यदि कोई हो, जो अभियुक्त के पक्ष में संतुलन को झुका सकता है और जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है।

(ख) प्राधिकारी को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण अभिलेख की स्वतंत्र रूप से पूर्ण और सचेत जांच करनी होगी, तथा स्वीकृति देने या न देने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय स्वीकृति देने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखना होगा।

(ग) स्वीकृति देने की शक्ति का प्रयोग जनहित और उस अभियुक्त को उपलब्ध संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, जिसके विरुद्ध स्वीकृति मांगी गई है।

(घ) स्वीकृति आदेश से यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्राधिकारी को सभी प्रासंगिक तथ्यों/सामग्रियों की जानकारी थी और उसने सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर गहन विचार किया था।

(ङ) प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करके न्यायालय को यह स्थापित और संतुष्ट करना होगा कि समस्त प्रासंगिक तथ्य स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और प्राधिकारी ने उन पर गहन विचार किया था तथा स्वीकृति विधि के अनुसार प्रदान की गई थी।

कर्नाटक राज्य बनाम अमीरजान (2007(11)एससीसी273) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

उपर्युक्त उद्देश्य के लिए, निस्संदेह, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की ओर से दिमाग का प्रयोग अनिवार्य है। मंजूरी देने वाला आदेश इस तथ्य का प्रदर्शनकारी होना चाहिए कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की ओर से दिमाग का उचित प्रयोग किया गया था। हमने पहले देखा है कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने केवल कर्नाटक लोकायुक्त के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर मंजूरी का आदेश पारित करने का दावा किया था। यहां तक कि उक्त रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है। इस प्रकार, चाहे उक्त रिपोर्ट में, उसके मुख्य भाग में या संबंधित दस्तावेजों के साथ संलग्न करके, आईजी पुलिस कर्नाटक लोकायुक्त ने मामले की जांच में एकत्र की गई सामग्रियों को रिकॉर्ड पर रखा था जो संबंधित लोक सेवक द्वारा अपराध के कमीशन के संबंध में सबूत के अस्तित्व को प्रथम दृष्टया स्थापित करेगी, जो स्पष्ट नहीं है। आमतौर पर, मंजूरी का आदेश पारित करने से पहले, अभियुक्त के खिलाफ एकत्र की गई सामग्रियों वाले पूरे रिकॉर्ड को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखा जाना चाहिए। यदि मंजूरी का आदेश विवेक के प्रयोग को इंगित नहीं करता है, क्योंकि मंजूरी का आदेश पारित होने से पहले उक्त प्राधिकारी के समक्ष जो सामग्री प्रस्तुत की गई थी, उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि ऐसी सामग्री वास्तव में प्रस्तुत की गई थी।

महेश कुमार सोनी बनाम राजस्थान राज्य (एसबी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 281/2023) के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने निम्नानुसार निर्णय दिया:-

स्पष्टतः, अभिलेखों से पता चलता है कि शिकायत दर्ज करने की तिथि और ट्रैप के प्रबंधन की तिथि को शिकायतकर्ता का विभाग के पास कोई कार्य लंबित नहीं था, और न ही याचिकाकर्ता के पास कोई कार्य लंबित था। इसलिए, जिस अपराध के लिए आरोप तय किए गए हैं, उसका महत्वपूर्ण तत्व इस हद तक गायब है कि लोक सेवक के पास कोई कार्य लंबित था। ट्रैप पर प्रत्येक धनराशि की वसूली से परितोषण की आवश्यकता पूरी नहीं होगी, जब तक कि वह धनराशि अभियुक्त के पास लंबित सरकारी कर्तव्य के निर्वहन के लिए भुगतान न की जा रही हो।

पी. मंजूनाथ बनाम कर्नाटक राज्य (रिट याचिका संख्या 10027/2022) के मामले में, यह माना गया कि-

यदि इस मामले में प्राप्त तथ्यों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर विचार किया जाए, तो यह स्पष्ट रूप से सामने आएगा कि इस मामले में न तो मांग है और न ही

स्वीकृति। मांग किसी कार्य के लिए होनी चाहिए और स्वीकृति उक्त कार्य के लिए होनी चाहिए। याचिका के साथ प्रस्तुत दस्तावेज इतने निर्विवाद हैं कि वे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि 24-02-2022 को याचिकाकर्ता के समक्ष जो कार्य आया था, वह उसी दिन किया गया और दस्तावेज जारी कर दिया गया। यदि शिकायतकर्ता ने शिकायत की होती कि याचिकाकर्ता ने दस्तावेज जारी करने के लिए पैसे की मांग की थी, तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। शिकायत दस्तावेज जारी होने के 14 दिनों के बाद की जाती है, जब याचिकाकर्ता के पास कोई कार्य लंबित नहीं था। अंतिम जाल दस्तावेज के पंजीकरण के दो महीने बाद बिछाया जाता है और याचिकाकर्ता दो महीने पहले मांगी गई किसी भी अवैध रिश्तों को स्वीकार करते हुए पकड़ा भी नहीं जाता। अधिनियम की धारा 7 स्पष्ट रूप से कार्य करने और स्वीकृति के लिए पूर्व-भुगतान की मांग का संकेत देती है। अधिनियम की धारा 7 के तहत पोस्ट-पेड की कोई अवधारणा नहीं है, वह भी उस जाल पर जो कथित मांग के दो महीने बाद बिछाया जाता है। पहला जाल विफल हो जाता है और दूसरा जाल भी विफल हो जाता है।

14. प्रथम प्रतिवादी-सीएबी/लोकायुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील का तर्क न तो यहाँ है और न ही वहाँ, क्योंकि वह इस तथ्य से बच नहीं पा रहे हैं कि काम पहले ही हो चुका था और कथित मांग काम शुरू होने के 14 दिन बाद पेश की गई थी और काम पूरा होने के दो महीने बाद जाल बिछाया गया था। ऊपर वर्णित स्पष्ट तथ्यों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच हुई कुछ ऑडियो बातचीत पर भरोसा करना उनके बचाव में उचित नहीं है।

चंद्रेशा बनाम कर्नाटक राज्य लोकायुक्त पुलिस कलबुर्गी के मामले में **आपराधिक अपील संख्या 200105/2015** में यह माना गया कि-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब ट्रेप की तिथि तक शिकायतकर्ता का कार्य अभियुक्त के समक्ष लंबित नहीं है, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1) (डी)/13(2) के तहत दंडनीय अपराध को आकर्षित करने और पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण तत्व कायम नहीं रह सकता।

बी. जयराम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2014 (13) एससीसी 55) के मामले में, यह निम्नानुसार माना गया था:-

जहाँ तक धारा 7 के अंतर्गत अपराध का संबंध है, कानून में यह स्थापित स्थिति है कि अवैध परितोषण की मांग उक्त अपराध की स्थापना के लिए अनिवार्य है और केवल करेंसी नोटों की बरामदगी धारा 7 के अंतर्गत अपराध नहीं बन सकती, जब तक कि यह पूरी तरह से संदेह से परे साबित न हो जाए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से यह जानते हुए भी कि यह रिश्तों है, धन स्वीकार किया। उपरोक्त स्थिति इस न्यायालय के कई निर्णयों में संक्षेप में प्रस्तुत की गई है। उदाहरण के लिए, सी.एम. शर्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1) और सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई (2) के निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है।

9. जहाँ तक अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अनुमेय उपधारणा का संबंध है, ऐसी उपधारणा केवल धारा 7 के अंतर्गत अपराध के संबंध में ही हो सकती है, न कि अधिनियम की धारा 7,

13(1)(डी)/13(2) के अंतर्गत अपराधों के संबंध में। किसी भी स्थिति में, केवल अवैध परितोषण स्वीकार करने के प्रमाण पर ही अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत यह उपधारणा की जा सकती है कि ऐसा परितोषण किसी आधिकारिक कार्य को करने या न करने के लिए प्राप्त किया गया था। अवैध परितोषण स्वीकार करने का प्रमाण केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब माँग का प्रमाण हो। चूँकि वर्तमान मामले में इसका अभाव है, इसलिए वे प्राथमिक तथ्य जिनके आधार पर धारा 20 के अंतर्गत विधिक उपधारणा की जा सकती है, पूर्णतः अनुपस्थित हैं।

एन. सुकन्ना बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2016(1) एससीसी 713) के मामले में यह निम्नानुसार माना गया था:-

अभियोजन पक्ष ने कुरनूल में अन्य उचित मूल्य की दुकान के डीलरों से पीडब्लू 3, 4 और 6 के रूप में पूछताछ की ताकि यह साबित किया जा सके कि आरोपी उनसे मासिक भत्ता प्राप्त कर रहा था। पीडब्लू 4 और 6 ने ऐसा नहीं कहा और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। पीडब्लू-3 ने यद्यपि मुख्य परीक्षा में ऐसा कहा था, जिरह में उसने अपना बयान पलट दिया और कहा कि आरोपी ने कभी कोई मासिक भत्ता नहीं मांगा और उसने कभी भी 50 रुपये का भुगतान नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने उस समय उपस्थित किसी अन्य गवाह की भी पूछताछ नहीं की जब आरोपी ने पैसे की मांग की थी और न ही उस समय जब शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर आरोपी को पैसे सौंपे थे। शिकायतकर्ता ने स्वयं अपनी शिकायत से इनकार कर दिया था और पक्षद्रोही हो गया था और यह साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है कि आरोपी ने कोई मांग की थी। संक्षेप में, आरोपी द्वारा कथित तौर पर की गई मांग का कोई सबूत नहीं है। यह स्थापित कानून है कि मांग के सबूत के बिना अभियुक्त से करेंसी नोटों को केवल कब्जे में लेना और बरामद करना धारा 7 के तहत अपराध नहीं लाएगा, क्योंकि अवैध परितोषण की मांग उक्त अपराध का गठन करने के लिए अनिवार्य है। जहां तक धारा 13(1)(डी) के तहत अपराध का संबंध है, उपरोक्त भी निर्णायक होगा क्योंकि अवैध परितोषण की मांग के किसी सबूत के अभाव में भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग या किसी मूल्यवान चीज या आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए लोक सेवक के रूप में स्थिति का दुरुपयोग स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह केवल अवैध परितोषण की स्वीकृति के सबूत पर है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत उपधारणा की जा सकती है कि इस तरह का परितोषण किसी आधिकारिक कार्य को करने या करने से मना करने के लिए प्राप्त किया गया था। जब तक अवैध परितोषण की मांग का सबूत नहीं है, स्वीकृति का सबूत नहीं माना जाएगा। बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [(2014) 13 एससीसी 55] और पी. सत्यनारायण मूर्ति बनाम जिला पुलिस निरीक्षक और अन्य [(2015) (9) स्केल 724] में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के दो निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है।

यशवंत सिन्हा बनाम सीबीआई रिपोर्टेड इन 2020 (2) एससीसी 338 के मामले में यह निम्नानुसार माना गया था:-

"116. याचिकाकर्ताओं ने प्रारंभिक जाँच से छूट नहीं माँगी है। यह मानते हुए भी कि माँगी गई छूट से कम छूट दी जा सकती है, एक और ऐसी बाधा है जो पार करना मुश्किल है।

117. वर्ष 2018 में, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 (जिसे आगे संक्षेप में '2018 अधिनियम' कहा जाएगा) 26.07.2018 को लागू किया गया था। इसके अंतर्गत, धारा 17 ए, एक नई धारा जोड़ी गई, जो इस प्रकार है:

"17 ए. (1) कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा किए गए अभिकथित किसी अपराध के संबंध में, जहां अभिकथित अपराध ऐसे लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी सिफारिश या लिए गए निर्णय से संबंधित है, पूर्व अनुमोदन के बिना कोई जांच या अन्वेषण नहीं करेगा—(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उस समय, जब अपराध किया जाना अभिकथित था, संघ के कार्यकलापों के संबंध में उस सरकार के अधीन नियोजित है या था; (ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उस समय, जब अपराध किया जाना अभिकथित था, किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में उस सरकार के अधीन नियोजित है या था; (ग) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, उस प्राधिकारी का, जो उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम है, उस समय जब अपराध का किया जाना अभिकथित है परंतु ऐसे मामलों में ऐसा अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा, जिसमें किसी व्यक्ति को स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ स्वीकार करने या स्वीकार करने का प्रयास करने के आरोप में मौके पर ही गिरफ्तार किया जाता है आगे यह भी प्रावधान है कि संबंधित प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपना निर्णय तीन महीने की अवधि के भीतर सूचित करेगा, जिसे ऐसे प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से एक महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

धारा 17 ए के अनुसार, किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी लोक सेवक द्वारा किए गए किसी अपराध के संबंध में कोई पूछताछ या जांच करने की अनुमति नहीं है, जहां कथित अपराध लोक सेवक द्वारा अपने सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में की गई किसी सिफारिश या लिए गए निर्णय से संबंधित हो, बिना पूर्व अनुमोदन के, अन्य बातों के साथ-साथ, उस प्राधिकारी की अनुमति के जो लोक सेवक को उस समय उसके पद से हटा सकता है जब कथित अपराध किया गया था। लोक सेवक के संबंध में, जो इस मामले में शामिल है, यह खंड (सी) है, जो लागू है। इसलिए, जब तक पूर्व अनुमोदन न हो, न तो पूछताछ हो सकती है, न जांच हो सकती है। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना उचित है कि शिकायत, जिसे याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 298/2018 में दर्ज किया है, जो प्रथम प्रतिवादी-सीबीआई के समक्ष स्थानांतरित की गई है, धारा 17 ए डाले जाने के बाद की गई है। शिकायत के पैराग्राफ 6 और 7 धारा 17 ए के संदर्भ में प्रासंगिक हैं, जो इस प्रकार हैं:

6. हमें यह भी पता है कि हाल ही में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जाँच या पूछताछ के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता को लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 17 ए में संशोधन किया गया है।

7. हमें यह भी पता है कि इससे आप एक अजीबोगरीब स्थिति में आ जाएँगे, जहाँ आपको अभियुक्त से ही उसके खिलाफ मामले की जाँच करने की अनुमति लेनी होगी। हम जानते हैं कि इस मामले में आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कम से कम इस अपराध की जाँच के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत सरकार से अनुमति लेने का पहला कदम उठाएँ, जिसके तहत, "संबंधित प्राधिकारी इस धारा के तहत अपना निर्णय तीन महीने की अवधि के भीतर सूचित करेगा, जिसे ऐसे प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से एक महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।"

विद्वान एडिशनल जी ए ने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक रिट याचिका संख्या 643/2022 भी दायर की है और उक्त याचिका को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 04.07.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने उक्त याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी कथनों पर विचार किया। इसलिए, वर्तमान याचिका पोषणीय नहीं है। विद्वान एडिशनल जी ए ने यह भी प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को रंगे हाथों पकड़ा गया था और उसकी जेब से दूषित धन बरामद किया गया था। इसलिए, सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करके सही किया। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा दायर वर्तमान आपराधिक विविध याचिका योग्यता से रहित होने के कारण खारिज होने योग्य है।

मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

यह एक स्वीकृत स्थिति है कि ड्रग लाइसेंस प्राप्त करने और ड्रग लाइसेंस रद्द करने के लिए उस समय ऑनलाइन प्रक्रिया प्रचलित थी क्योंकि विभाग ने सितंबर, 2017 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की थी। शिकायतकर्ता ऑनलाइन प्रक्रिया को अच्छी तरह से जानता था। उन्होंने ड्रग लाइसेंस रद्द करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इसलिए, फ़ाइल को ऑफ़लाइन तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जांच अधिकारियों ने कानून के अनुसार अवैध मांग का सत्यापन नहीं किया था और इस बारे में कोई जांच नहीं की थी कि याचिकाकर्ता के पास कोई काम लंबित है या नहीं। यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि जाल कार्यवाही के समय, याचिकाकर्ता के पास 17.12.2018 से 19.12.2018 तक कोई काम लंबित नहीं था। शिकायतकर्ता ने पहली बार 24.12.2018 को ड्रग लाइसेंस के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष एक विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। संबंधित अधिकारियों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता के पास कोई काम लंबित नहीं था। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि रणजीत गुर्जर के साथ याचिकाकर्ता की प्रतिद्वंद्विता के कारण परिवादी ने जबरदस्ती दागी धन उसकी जेब में डाल दिया था। विभाग ने भी रणजीत गुर्जर के साथ याचिकाकर्ता की प्रतिद्वंद्विता को स्वीकार किया था। रणजीत गुर्जर परिवादी कुलदीप सिंह का मित्र है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि रिश्वत की कोई मांग और स्वीकृति थी। केवल दागी धन की वसूली से याचिकाकर्ता के खिलाफ 1988 के अधिनियम की धारा 7, 13(1)(डी)/13(2) के तहत अपराध नहीं बनता है क्योंकि अभियोजन को यह तथ्य साबित करना था

कि याचिकाकर्ता के पास काम लंबित था और याचिकाकर्ता ने काम करने के लिए दागी धन की मांग की थी। अभियोजन स्वीकृति देने से पहले सक्षम प्राधिकारी ने स्वतंत्र दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया था। इसलिए, मैं उप सचिव (ए-3), कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी अभियोजन स्वीकृति के आदेश दिनांक 23.06.2021 को रद्द और रद्द करना उचित समझता हूँ।

तदनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया जाता है और याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी अभियोजन स्वीकृति को रद्द किया जाता है।

लंबित आवेदन (यदि कोई हों) का निपटारा कर दिया गया है।

(नरेंद्र सिंह ढड्डा), जे

ताहिर/426

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate